न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/19

1. भैरू पुत्र मूल्या जरिये संरक्षक शंकर जाति बलाई निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मन्जू पुत्री गोपाल पत्नी रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. हेमराज पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ओमप्रकाश पुत्र किशना जाति बलाई निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रवि पुत्र किशना जाति बलाई निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. पप्पू पुत्र किशना जाति बलाई निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. सीताराम पुत्र मोती जाति बलाई निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. बरधी पत्नी मोती जाति बलाई निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. गीता पुत्री गोपाल पत्नी पप्पू जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. सीमा पुत्री गोपाल पत्नी किशन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
9. बीना पत्नी नारायण जाति महाजन निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 12.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 13.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1904 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रार्थी की उक्त भूमि पर आने–जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 1886 में बामनगॉव से गंभीरा जाने वाले रास्ते में होकर खसरा नम्बर 2040 एवं खसरा नम्बर 1903 की मेर पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होकर वादी के खातेदारी हक अधिकार आधिपत्य कब्जे काश्त के खेत पर पहुंचता है । उक्त रास्ता करीब 15 फीट चौडा है जिसमें होकर वादी अपने खेत पर पहुंचता है । इस रास्ते पर आवागमन का वादी को सुखाधिकार भी प्राप्त है । उक्त रास्ते को परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से दर्शाया हुआ है । उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को नाजायज तरीके से अवरूद्ध करने पर आमादा हैं ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित रास्ते पर प्रार्थी का सुखाधिकार घोषित किया जावे गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1886 में होकर पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 2040 एवं खसरा नम्बर 1903 की मेर पर होकर निकल रहे 15 फीट चौडे रास्ते को जो वादी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1904 में जाता है को राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त रास्ते का अवरूद्ध नहीं करें तथा प्रार्थी के द्वारा उपयोग में लिये जा रहे रास्ते के आवागमन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 24.05.2017 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 व 8 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2019 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया ।

5. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2019 की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 01 व 08 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2019 में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय उक्त प्रकरण को पुनः लोक अदालत कैम्प में रखते हुए निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली पक्षकारान के जवाब में नियत चल रही थी परन्तु दिनांक 13.12.2021 को ही प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कोर्ट कैम्प ले जाकर एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2021 पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । दिनांक 16.12.2021 को प्रकरण की जानकारी करने पर बताया गया कि परीक्षण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में दिनांक 13.12.2021 को ही निर्णय पारित कर दिया । जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 16.12.2021 को ही नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया परन्तु नकल दिनांक 02 मार्च, 2022 को दी गई । नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारान को नोटिस जारी हुए और अपीलान्ट जरिये अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित हुए । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली जवाब में नियत चल रही थी परन्तु राजस्व लोक अदालत कैम्प बामनगॉव में ले जाकर दिनांक 24.05.2017 को एकतरफा निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2019 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट में ले जाकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली पक्षकारान के जवाब में नियत चल रही थी जिसमें आगामी पेशी जवाब हेतु नियत थी परन्तु पत्रावली दिनांक 13.12.2021 को ही कोर्ट कैम्प में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णित कर दी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से कैम्प कोर्ट करवर में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है । प्रार्थी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय

मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारान को नोटिस जारी हुए और अपीलान्ट जरिये अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित हुए । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली जवाब में नियत चल रही थी परन्तु राजस्व लोक अदालत कैम्प बामनगॉव में ले जाकर दिनांक 24.05.2017 को एकतरफा निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2019 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी कम 1, 5 व 8 के जवाब में चल रही थी जिसे दिनांक 13.12.2021 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान में कैम्प कोर्ट करवर में रखते हुए प्रतिवादी कम 1, 5 व 8 का जवाब बन्द कर निर्णित कर दिया । कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट के उपस्थिति के हस्ताक्षर भी नहीं है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2019 के निर्देशों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है जबकि न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय में निर्देश दिये थे कि "अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें ।" परन्तु परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण को पुनः प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट करवर में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । पूर्व में दिये गये निर्देशों की पुनः पालना नहीं किये जाने से प्रकरण में अनावश्यक देरी होती है । अतः एक ही प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटियॉ किया जाना उचित नहीं है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.12.2021 से स्पष्ट है कि पत्रावली जवाब हेतु नियत थी । चूँकि उक्त प्रकरण धारा 251 (क) के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत भी प्रस्तुत हुआ है, ऐसी स्थिति में सीपीसी की पालना होना चाहिए । चूँकि प्रकरण में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद भी प्रस्तुत किया था । अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 24.05.2017 में डिक्री जारी की गई थी । पत्रावली पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2021 के सम्बन्ध में कोई डिक्री पारित होना भी नहीं पाया जाता है । उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 12 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए, अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर पत्रावली प्राप्त होने के 90 दिवस के अन्दर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा